

न्यूज टुडे

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए एक्सिओम-4 (AXIOM-4) मिशन लॉन्च किया गया

यह टेक्सास स्थित स्टार्ट-अप कंपनी एक्सिओम स्पेस (Axiom Space) द्वारा स्पेसएक्स (SpaceX) के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था।

- यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है।
- इस मिशन की टीम में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं।
- शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री होंगे।
- राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयुज यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और अब तक के एकमात्र भारतीय थे।

AXIOM-4 मिशन के बारे में:

- यह मिशन एक्सिओम स्पेस (एक निजी कंपनी), नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा/ NASA), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ ISRO) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के सहयोग से किया जा रहा है।
- मिशन के अंतरिक्ष यात्री ISS पर 14 दिन बिताएंगे, जहां वे माइक्रोग्रैविटी से जुड़े शोध और तकनीकी संबंधी प्रयोग करेंगे तथा आउटरीच गतिविधियों में शामिल होंगे।
- माइक्रोग्रैविटी में जैविक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी और लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए रणनीतियां विकसित की जाएंगी।
- इस मिशन में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति लाएंगे। इससे भारत के युवा वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को प्रेरणा मिलेगी।
- यह मिशन अंतरिक्ष क्षेत्त्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा और यह प्रदर्शित करेगा कि भारत वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के बारे में:

- यह एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है, जो 370 से 460 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है।
- ISS के प्रमुख साझेदार हैं: यूरोपीय देश (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से), संयुक्त राज्य अमेरिका (NASA), जापान (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी), कनाडा (कैनेडियन स्पेस एजेंसी) और रूस (रोस्कोस्मोस)।
- इसका पहला हिस्सा 1998 में अंतरिक्ष में भेजा गया था।
- यह 2030 तक या उससे आगे तक अंतरिक्ष में एक परिचालनरत प्रयोगशाला और स्टेशन के रूप में कार्य करता रहेगा।

सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया

इसका आधिकारिक नाम सोनभद्र फॉसिल्स पार्क है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है।

- IUCN के 2020 के “जीवन के विकास (Evolution of Life)” से जुड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार यह पार्क जियो-हेरिटेज साइट की श्रेणी में आता है। साथ ही, यह पार्क यूनेस्को के ‘2021 के पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास से जुड़े मानकों’ पर भी खरा उतरता है।

सलखान फॉसिल पार्क के बारे में

- यह कैमूर पहाड़ियों (जो विन्ध्य पर्वतमाला का हिस्सा हैं) में स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पास है।
- यह दुनिया के सबसे पुराने और अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक है। यहां के जीवाश्म करीब 1.4 बिलियन (140 करोड़) साल पुराने हैं।
- इस स्थल पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में स्ट्रोमैटोलाइट्स शामिल हैं, जो सायनोबैक्टीरिया (या नीले-हरे शैवाल) के समूहों द्वारा बनाए जाते हैं।
 - ये जीवाश्मी सूक्ष्म संरचनाएं उस महान ऑक्सीकरण घटना (Great Oxidation Event) का रिकॉर्ड रखती हैं, जब पहली बार पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन संचित होना शुरू हुई थी।
- सलखान फॉसिल पार्क का महत्त्व
 - प्राचीन वातावरण को समझने में सहायक: इस पार्क में विभिन्न प्रकार के स्ट्रोमैटोलाइट्स पाए जाते हैं- जैसे गुंबदाकार (domal), स्तंभाकार (columnar), और परतदार (stratiform)। ये पुराने समय में जल की गहराई, तलछट (sedimentation) और लहरों की गतिविधियों में हुए बदलावों को दर्शाते हैं।
 - प्री-कैम्ब्रियन काल की जानकारी देना: यह स्थल वर्ल्ड हेरिटेज फॉसिल्स रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को भरता है, क्योंकि यह प्री-कैम्ब्रियन युग को प्रदर्शित करता है।
 - यह पृथ्वी के इतिहास के 85% हिस्से को कवर करता है, जो अब तक दुनिया भर में बहुत कम वर्णित किया गया है।

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स (विश्व धरोहर स्थल)

- विश्व धरोहर स्थल वे स्थान होते हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा उनके “अद्वितीय सार्वभौमिक मूल्य” (Outstanding Universal Value) के लिए मान्यता दी जाती है।
- इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है। इसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण संधि (World Heritage Convention) कहा जाता है।
- ये स्थल निम्नलिखित तीन श्रेणियों में होते हैं:
 - सांस्कृतिक धरोहर;
 - प्राकृतिक धरोहर; तथा
 - मिश्रित धरोहर (जिनका सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह का महत्त्व होता है)।



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'आपातकाल की उद्घोषणा' के 50 वर्ष पूरे होने पर एक संकल्प पारित किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 जून, 2025 को भारत में आपातकाल की उद्घोषणा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संकल्प पारित किया।

- ▶ ध्यातव्य है कि 25 जून, 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत "आंतरिक अशांति" से खतरे का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था।
- ▶ हालांकि, 1975 से पहले भी दो बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। एक बार 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान और दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय।

राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में

- ▶ आपातकाल के प्रकार: भारतीय संविधान में निम्नलिखित तीन प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है:

- ⊕ राष्ट्रीय आपातकाल: अनुच्छेद 352 के तहत,
- ⊕ राष्ट्रपति शासन: अनुच्छेद 356 के तहत, तथा
- ⊕ वित्तीय आपातकाल: अनुच्छेद 360 के तहत।

- ▶ राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा और आधार: राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है, जब उसे लगता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह से खतरा है।

- ⊕ 'सशस्त्र विद्रोह' शब्दावली को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' की जगह जोड़ा गया था।

- ▶ संसदीय अनुमोदन: आपातकाल की उद्घोषणा अधिसूचित होने के एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से उसका अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि यह अनुमोदित हो जाती है, तो इसे आगे जारी रखने के लिए हर छह महीने में संसद की स्वीकृति लेनी होती है।

- ⊕ आपातकाल आगे जारी रखने हेतु संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

- ▶ मूल अधिकारों पर प्रभाव:

- ⊕ अनुच्छेद 358 के तहत राज्य अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है।

- ⊕ अनुच्छेद 359 राज्य को संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की अनुमति देता है।

- ◆ हालांकि, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण एवं वैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

1975 के आपातकाल के दौरान संवैधानिक संशोधन

- ▶ 38वां संविधान संशोधन: इसके राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने से रोक दिया था।
- ▶ 39वां संविधान संशोधन: इसके तहत प्रधान मंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया था।
- ▶ 42वां संविधान संशोधन: इसके तहत केंद्र सरकार की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि की गई, लोक सभा और राज्य विधान-सभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया, तथा संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने से अचानक तेज बाढ़ आई

हिमाचल प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ ही, बादल फटने यानी क्लाउड ब्रस्ट की वजह से कुल्लू में मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के चलते पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल और अवसंरचना की क्षति हुई है।

बादल फटना क्या होता है?

- ▶ यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश की स्थिति है।
- ▶ भारत के मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यदि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक घंटे में 100 मिमी से अधिक वर्षा हो, तो उसे बादल फटना कहा जाता है।
- ▶ बादल फटने की घटना वायु के पर्वतों के साथ-साथ ऊपर उठने (Orographic lifting) के कारण होती है। यह तब होती है, जब वायु राशि पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरते हुए कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर आगे बढ़ती जाती है। इसके परिणामस्वरूप अचानक संघनन (condensation) होता है।
- ⊕ ओरोग्राफिक लिफ्ट एक मौसमी प्रक्रिया है, जिसमें आर्द्र वायु किसी पहाड़ी या पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है। इस परिघटना में:
 - ◆ गर्म वायु राशि पर्वत की ढलान पर चढ़ती है और अधिक ऊंचाई पर जाने पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण फैलती है।
 - ◆ जैसे-जैसे वायु फैलती और ठंडी होती है, यह अपनी आर्द्रता को वर्षा के रूप में निर्मुक्त करती है।
 - ◆ जब लगातार बड़ी मात्रा में गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठती रहती है और समय पर आर्द्रता निर्मुक्त नहीं करती है, तो यह अचानक और तीव्र बारिश यानी बादल फटने का कारण बन जाती है।

बादल फटना आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019)

- ▶ जोखिम को समझना: बादल फटने की घटनाओं, भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों आदि से संबंधित डेटा को एकत्र करना और उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।
- ▶ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में निवेश: प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों, छोटी नदियों आदि की मरम्मत एवं रखरखाव करना चाहिए। इससे वर्षा जल को बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होने में मदद मिलती है।
- ▶ क्षमता निर्माण: बादल फटने की घटनाओं से निपटने और तैयारी करने के लिए स्थानीय निकायों की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। साथ ही, बीमा और जोखिम हस्तांतरण आदि उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए।



लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय समितियां सरकार की विरोधी नहीं बल्कि मार्गदर्शक हैं

हाल ही में, लोक सभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय समितियां सहायक होती हैं और सुधार के साधन के रूप में कार्य करती हैं। साथ ही, ये रचनात्मक मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। संसदीय समितियों के बारे में

- संसद समितियां वास्तव में संसद सदस्यों के ऐसे पैनाल होते हैं, जो सरकार के कार्यों की जांच-पड़ताल करते हैं और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- संसदीय समितियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं:

- ⊕ **स्थायी समितियां (Standing Committees):** ये स्थाई और नियमित समितियां होती हैं। इनमें वित्तीय समितियां और केंद्र सरकार के 24 विभागों से संबंधित स्थायी समितियां शामिल हैं-
- ⊕ **तदर्थ समितियां (Ad hoc Committees):** ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित होती हैं और कार्य पूरा होने के बाद भंग हो जाती हैं। इनमें विधेयकों पर प्रवर समिति (Select Committee) और संयुक्त समितियां शामिल होती हैं।

संसदीय समितियों का महत्त्व

- जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं: कार्यपालिका के कार्यों पर विधायिका द्वारा निगरानी बनाए रखना आवश्यक है और समितियां ये कार्य बहुत अच्छी तरह निभाती हैं। उदाहरण के तौर पर, लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) वित्तीय मामलों की निगरानी करती है।
- पारदर्शी और प्रभावी शासन सुनिश्चित करती हैं: ये समितियां अच्छी तरह से शोध की गई सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं तथा कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच सेतु का कार्य करती हैं।
- विधायी दक्षता में सुधार करती हैं: चूंकि, समितियां पूरे वर्ष बैठक करती हैं, इसलिए सदन में किसी विधेयक पर चर्चा के लिए समय की कमी की भरपाई कर देती हैं।
- सर्वसम्मति बनाने में भूमिका निभाती हैं: ये समितियां राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

संसदीय समितियों से जुड़ी चिंताएं

- इन समितियों का कार्यकाल छोटा होता है। इसके अलावा, समय पर समितियों का गठन भी नहीं होता और इनकी बैठकें भी बंद दरवाजों के भीतर होती हैं।
- समिति की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति कम रहती है। उदाहरण के लिए: 17वीं लोक सभा में जुलाई 2023 तक विषय संबंधी समितियों (Subject Committees) की बैठकों में औसत उपस्थिति केवल 47% थी।
- समितियों को चर्चा के लिए भेजे जा रहे विधेयकों की संख्या में कमी आई है। उदाहरण के लिए- 17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयक समितियों को भेजे गए थे, जबकि 14वीं लोक सभा में यह आंकड़ा 60% था।
- वेकटचलैया आयोग (2000) ने संसदीय समितियों में संसाधनों की कमी, स्टाफ की कमी और विशेषज्ञ सलाहकारों की अनुपस्थिति जैसी समस्याओं को रेखांकित किया था।



अन्य सुर्खियां



उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)

नाटो के सदस्य देशों ने 2035 तक रक्षा व्यय को सदस्य देशों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2% से बढ़ाकर 5% करने पर सहमति जताई।

- सदस्य देशों ने सामूहिक सुरक्षा (Collective Defence) के सिद्धांत के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

नाटो (NATO) के बारे में

- स्थापना: नाटो का गठन 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि के माध्यम से हुआ था। इस संधि को वार्शिंगटन संधि भी कहा जाता है।
- उद्देश्य: इसके गठन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तत्कालीन सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था।
- मुख्यालय: ब्रुसेल्स (बेल्जियम)।
- स्वरूप:
 - ⊕ यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। स्वीडन इसका नवीनतम सदस्य है।
 - ⊕ यह "सामूहिक रक्षा के सिद्धांत" पर कार्य करता है जिसका उल्लेख नाटो संधि के अनुच्छेद 5 के तहत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक सदस्य देश पर हमला, सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है।



एन्हांसड रॉक वेदरिंग (ERW)

जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अब खेतों में क्रश की हुई चट्टानों को फैलाया जा रहा है।

- इस तकनीक को एन्हांसड रॉक वेदरिंग (ERW) कहा जाता है।
- ERW के बारे में
 - यह एक जलवायु समाधान है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को वातावरण से हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उस प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज करता है जिसमें चट्टानें कार्बन को अवशोषित करती हैं।
 - एन्हांसड वेदरिंग की विधियां:
 - ⊕ चट्टानों को क्रश करना: जब चट्टानों को महीन कण में बदला जाता है, तो उनका सतह क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे वे हवा या पानी में मौजूद CO₂ के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं।
 - ⊕ आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चट्टानें:
 - ⊕ ओलिविन: यह तेजी से अपक्षयित होती है। इसकी धूल को समुद्र तटों या महासागरों में फैलाने से कार्बन जमा हो सकता है और समुद्र की अम्लता कम हो सकती है।
 - ⊕ बेसाल्ट: जब इसे खेतों में डाला जाता है, तो यह न केवल CO₂ को कैप्चर करता है, बल्कि मिट्टी को पोषण भी प्रदान करता है और फसल की पैदावार बढ़ाता है।



अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (International Potato Centre: CIP)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के बारे में

- स्थापना: इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यह केंद्र आलू (Potato), शकरकंद (Sweet Potato) और एंडीज क्षेत्र की जड़ व कंद वाली फसलों (Andean Roots and Tubers) पर शोध करता है।
- ⊕ इसके अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के 20 से अधिक देशों में अनुसंधान केंद्र मौजूद हैं।
- उद्देश्य: जड़ और कंद वाली फसलों की उत्पादन पद्धतियों में सुधार करना, ताकि जलवायु परिवर्तन, पोषण और गरीबी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- मुख्यालय: इसका मुख्यालय लीमा (पेरू) में है।



बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR)

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों से निपटने में, भारत में 'पर्यावरण पर प्रभाव से जुड़े डिस्कलोजर फ्रेमवर्क' महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- "बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR)" एक ऐसा ही डिस्कलोजर फ्रेमवर्क है। BRSR के बारे में
- यह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की 1,000 बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है।
- इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा 2012 में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग (BRR) के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
- इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 - ⊕ सूचीबद्ध कंपनियों को संधारणीय व्यावसायिक कार्य-प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा
 - ⊕ सूचीबद्ध कंपनियों की गतिविधियों के पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) से जुड़े प्रदर्शन से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करना।



वजन कम करने वाली दवाएं

डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नोर्डिस्क ने भारत में अपनी वजन कम करने वाली दवा वेगोवी लॉन्च की।

- इस दवा का सक्रिय घटक सेमाग्लूटाइड है और इसे वेगोवी ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है। यह इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होगा और इसे सप्ताह में एक बार लेना होगा।
- ⊕ सेमाग्लूटाइड भूख को कम करने का काम करता है। यह शरीर में मौजूद GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1) नामक हार्मोन की कॉपी करता है।
 - ◆ GLP-1 आंतों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जो खाना खाने के बाद शरीर में रिलीज़ होता है और व्यक्ति को अधिक देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है।
- वजन घटाने की अन्य दवाओं में मांउजरो भी शामिल है, जो टिज़ेप्टाइड से बनी है। यह GLP-1 और GIP दोनों हार्मोन की तरह काम करता है।



ई-पासपोर्ट

भारत के विदेश मंत्रालय ने ई-पासपोर्ट और पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 को शुरू किया है।

ई-पासपोर्ट के बारे में

- ई-पासपोर्ट वास्तव में पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का मिश्रित रूप है। इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप और एक एंटीना पासपोर्ट के कवर में इनले के रूप में लगाया गया होता है।
- इसमें पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा दर्ज होता है।
- ⊕ इसकी सुरक्षा प्रणाली का आधार पब्लिक-की इन्फ्रास्ट्रक्चर (PKI) तकनीक है।
- ई-पासपोर्ट जाली पासपोर्ट जैसी जालसाजी और धोखाधड़ी गतिविधियों से पासपोर्ट की सुरक्षा करता है और सीमा पर भारत के पासपोर्ट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है।



पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता

भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्तपोषण प्रदान करने की बाध्यताओं पर चर्चा फिर से शुरू करने के लिए मजबूर किया।

- समझौते के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार, "विकसित देश सतत रूप से विकासशील देशों को जलवायु शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation), दोनों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे।"
- अजरबैजान के बाकू में "जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 29वें सम्मेलन (UNFCCC- COP29) के दौरान, विकसित देशों ने 2035 से प्रति वर्ष कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने पर सहमति व्यक्त की थी।
- ⊕ हालांकि, विकासशील देशों ने 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की मांग की थी।



ब्रेंट क्रूड

हाल ही में, मध्य पूर्व में तनाव कम होने और वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं में कमी के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट आयी है।

ब्रेंट क्रूड के बारे में

- ब्रेंट क्रूड 1960 के दशक से उत्तरी सागर से निकलने वाला एक लाइट स्वीट ऑयल है। यह दुनिया में तेल की कीमत तय करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला बेंचमार्क है।
- ⊕ इसे यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के लाइट ऑयल मार्केट के लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- अन्य तेल बेंचमार्क: वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अमेरिकी लाइट ऑयल मार्केट के लिए बेंचमार्क है।



AI-पावर्ड एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS)

द्वारा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एआई-संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) वाला एक्सप्रेसवे बना।

इसे IHMCL (इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) द्वारा लागू किया जा रहा है।

ATMS के बारे में:

- एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) तकनीकों और प्रणालियों का एक समूह है। इनका उपयोग सड़कों और राजमार्गों पर यातायात को अधिक कुशल, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए किया जाता है।
- ATMS के मुख्य घटक हैं:
 - ⊕ ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरे,
 - ⊕ वीडियो इंस्टैंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम (VIDES);
 - ⊕ व्हीकल एक्सप्लेड स्पेड डिस्ले सिस्टम (VASD);
 - ⊕ ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन के साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क,
 - ⊕ ATMS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आदि।

